[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 08/2017-सीमा शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी, 2017

11 माघ, 1938 (शक)

का. आ...........(अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, जिसे का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

"सारणी-1

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	822
2	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	851
3	1511 90 90	अन्य पॉम ऑयल	837
4	1511 10 00	कच्चा पामोलिन	859
5	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	862
6	1511 90 90	अन्य पामोलीन	861
7	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	879
8	7404 00 22	पीतल स्क्रेप (सभी ग्रेड)	3155
9	1207 91 00	पोस्त बीज	2579

सारणी-2

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 या 98	स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 17.03.2012 की प्रविष्टि संख्या 321 और 323 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	388 प्रति 10 ग्राम
2	71 या 98	रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 17.03.2012 की प्रविष्टि संख्या 322 और 324 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	556 प्रति किलोग्राम

सारणी-3

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	सुपारी	2613"

[फा. सं. 467/1/2017-सीमा शुल्क-V]

(क्षितेंद्र वर्मा)
अवर सचिव भारत सरकार

नोट:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का.आ.748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी, तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 04/2017-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 13 जनवरी, 2017, जिसे का.आ. 122(अ) दिनांक 13 जनवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में ई-प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।